लोक सभा में 6 जुलाई, 2009
को पुरःस्थापित रूप में

2009 का विधेयक संख्यांक 33

[दि फाइनेंस (नं0 2) बिल, 2009 का हिंदी अनुवाद]

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 83 तक 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

http://indiabudget.nic.in